न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2023/ 231 दिनांक 20/01/2023

प्रार्थीगण :-

1. खेताराम 2.दमाराम 3.बाबूलाल पि.टीकमाराम 4.इन्द्रीदेवी पत्नि टीकमाराम 5.डूंगाराम पुत्र टीकमाराम, जाति दर्जी, निवासी खारिया डेर (बीजराड़) तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण:-

1.अचलाराम पुत्र चोरूराम 2.बांकाराम पुत्र तिलोकाराम 3.करनाराम पुत्र अखाराम 4.लच्छा पुत्र दुर्गाराम 5.गोकला 6.रूखमणा पि.सिरामा 7.कुम्भा पुत्र गेना 8.विरधाराम पुत्र लाला के का.मु. :– 8/1.भगवानाराम 8/2.कंवराराम, जातियान जाट, 9. खेताराम पुत्र मघाराम 10.सुरताराम पुत्र जेठाराम, जाति दर्जी निवासी खारिया डेर (बीजराड़), तहसील चौहटन 11.तहसीलदार चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम वास्ते करने नेखमबंदी बाबत |

राजस्व आवेदन सं. 118/2022 दिनांक : 17.01.2023

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र बीजराड़ के मौजा खारिया डेर के खेत खसरा सं. 577/168, 581/419, 590/427 रकबा क्रमशः 0.6637, 3.1565, 0.8579 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है| उक्त विवादित भूमी की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमी की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे|

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों| आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है | प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे |

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

क्रमांक/भू.अ./2023/ 232 to 235 दिनांक 20/01/2023

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीगण खेताराम वगैरा
3. विप्रार्थीगण अचलाराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/[illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2023.02.10 16:39:52 IST
Reason: SelfAttested

(भागीरथ राम II)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन